"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त, 2002—श्रावण 18, शक 1924

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर, छ. ग.

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2002

क्रमांक क/वाचक/अ.वि.अ./पंजीयक/2002.—चूंकि आवेदक, डॉ. दीपक शर्मा, वल्द स्व. श्रीराम गोपाल शर्मा, सचिव श्रीमद् वल्लभाचार्य धर्म एवं संस्कृति अन्वेषण संस्थान ट्रस्ट रायपुर छत्तीसगढ़ पता-दीपक हाऊस जलगृह मार्ग टिकरापारा रायपुर के द्वारा म.प्र. सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 के 30) की धारा 4 के तहत श्रीमद् वल्लभाचार्य-भारतीय धर्म एवं संस्कृति शोध अन्वेषण संस्थान रायपुर (चम्पारण्य) छत्तीसगढ़ के नाम से सार्वजनिक ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है और निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति का पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र दिया है. अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 31-5-2002 को होगी.

2. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के, निकालने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वतः या अपने

वकील अथवा एजेन्ट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आरोपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

1.	पब्लिक ट्रस्ट का नाम	-	श्रीमद् वल्लभाचार्य भारतीय धर्म एवं संस्कृति शोध अन्वेषण संस्थान, रायपुर (चम्पारण्य) छत्तीसगढ़.
2.	कार्यालय	-	न्यास का प्रधान कार्यालय वर्तमान दीपक हाऊस जलगृह मार्ग टिकरापारा, रायपुर (छ. ग.).
3.	ट्रस्ट की चल संपत्ति	-	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया विवेकानंद आश्रम शाखा रायपुर के खाता क्रमांक 34503 में जमा राशि रु. 1100=00.
4.	ट्रस्ट की अचल संपत्ति	-	निरंक

रमेश शर्मा,
पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग

प्रारूप-चार

[देखिये नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30)की धारा 5 को उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

दुर्ग, दिनांक 11 जून 2002

क्रमांक 1037/प्र. 1/अ. वि. अ./2002.—चूंकि ईश्वर लाल पटेल आ. गोकुल पटेल साकिन ग्राम दनिया तहसील धमधा जिला दुर्ग ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 26-7-2002 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, नितिन पंडित, पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 20-6-2002 को उक्त अधिनियम को धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता हो और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

1.	लोक न्यास का नाम-पता	-	ग्राम निर्माण योजना ट्रस्ट श्री राम जानकी आश्रम आनन्दधाम ग्राम सगनी पोष्ट कोडिया.
2.	लोक न्यास की संपत्ति	-	रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) नगद.

प्रारूप-चार

[देखिये नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30)की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

दुर्ग, दिनांक 18 जून 2002

क्रमांक 1070/प्र. 1/अ. वि. अ./2002.—चूंकि श्री सुखदेव यादव प्रबंध न्यासी स्व. शशिदेवी यादव मेमोरियल ट्रस्ट अंजोरा तहसील व जिला दुर्ग ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम,1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 29-7-2002 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, नितिन पंडित, पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 29-7-2002 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता हो और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

1.	लोक न्यास का नाम-पता	-	स्व. शशिदेवी यादव मेमोरियल ट्रस्ट अंजोरा
2.	लोक न्यास की संपत्ति	-	रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये).

नितिन पंडित,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.